"Cyber Safety and Security" विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आख्या

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चड़ीगाँव, पौड़ी गढ़वाल में AWP&B 2025-26 में अनुमोदित "Cyber Safety and Security" विषय पर त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 15/12/2025 से 17/12/2025 तक किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के प्रति जागरूक करना था।जिससे कि वे अपने विद्यालय के छात्रों को भी डिज़िटल सुरक्षा के प्रति जागरुक कर सकें।

प्रतिभागी शिक्षकों की संख्या – 28

समन्यवक – श्रीमती शालिनी भट्ट

सन्दर्भदाता –

1. डा० वरुण बर्तवाल, अ०प्रो०
2. डा० प्रीतम, अ०प्रो०
3. श्रीमती प्रियंका भारद्वाज (इंसपेक्टर महिला थाना)
4. श्रीमती दीपशिखा (साइबर सेल अधिकारी महिला थाना)
5. श्री समरवीर
6. डा० अतुल बमराड़ा, स०अ०

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं स्वागत संबोधन के साथ हुआ। तत्पश्चात सभी प्रतिभागियों द्वारा अपना परिचय दिया गया। प्राचार्य जी के द्वारा साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा विषय पर शिक्षकों से बातचीत की गई। प्रशिक्षण के समन्वयक श्रीमती शालिनी भट्ट एवं श्री राणा जी के द्वारा साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा विषयक प्रशिक्षण की रूपरेखा सभी के समक्ष रखी गई। सभी प्रतिभागियों को क्यू. आर कोड के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। तत्पश्चात श्रीमती शालिनी भट्ट द्वारा गूगल फॉर्म के द्वारा प्री–टेस्ट संपन्न हुआ और साथ ही प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के महत्व से अवगत कराया गया। विशेषज्ञों द्वारा साइबर अपराध की परिभाषा, प्रकार तथा उनसे बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रथम दिवस – डा० वरुण बर्तवाल द्वारा फिशिंग, हैकिंग, मैलवेयर , फर्जी लिंक, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे विषयों पर व्यावहारिक उदाहरणों सहित चर्चा की गई। प्रतिभागियों को व्हाट्सएप के कुछ विशिष्ट फीचर्स के बारे में जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक एवं अनधिकृत वेबसाइटों से कैसे बचा जाए। Hands-on करवाया गया। प्रतिभागियों को सत्र के अंत में प्रश्नोत्तर द्वारा प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया।

द्वितीय दिवस – द्वितीय दिवस का प्रारंभ पूर्व दिवस की पुनरावृत्ति से किया गया। इस दिन की सन्दर्भदाता इंसपेक्टर महिला थाना श्रीमती प्रियंका भारद्वाज एवं साइबर सेल अधिकारी श्रीमती दीपशिखा जी ने साइबर अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों, हेल्पलाइन नंबरों एवं शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी। श्री समरवीर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम की गोपनीयता सेटिंग, सुरक्षित चौटिंग, अकाउंट सुरक्षा तथा डिजिटल भुगतान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

डा० प्रीतम द्वारा प्रतिभागियों को ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफार्म तथा साइबर फ्रॉड से संबंधित वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से जागरूक किया गया एवं सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

तृतीय दिवस – तृतीय दिवस का आरंभ साइबर कानून, आईटी एक्ट एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित जानकारी के साथ हुआ। इस सत्र में ई–मेल सुरक्षा, फिशिंग ईमेल की पहचान, सुरक्षित पासवर्ड निर्माण, डेटा बैकअप एवं डिवाइस सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

समापन के अवसर प्रतिभागियों को व्यावहारिक अभ्यास के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिभागियों के लिए एक online quiz का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम तीन शिक्षकों को प्रमाण पत्र वित्रित किये गये। अंत में गूगल फॉर्म के द्वारा पोस्ट–टेस्ट संपन्न हुआ। अंत में मूल्यांकन एवं फीडबैक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताया। कार्यक्रम समन्यवक श्रीमती शालिनी भट्ट जी के द्वारा प्रतिभागियों की सक्रिय प्रतिभागिता के लिए

धन्यवाद दिया गया। अंत में प्राचार्य जी के द्वारा प्रेरणादायी संबोधन के पश्चात् प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र वितरण किए गए एवं प्रशिक्षण की विधिवत समाप्ति की घोषणा की गयी। यह त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत सफल एवं प्रभावशाली रहा। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी तथा डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग की समझ विकसित हुई। कार्यक्रम ने शिक्षकों को न केवल तकनीकी रूप से सशक्त किया बल्कि उन्हें साइबर अपराधों से सतर्क रहने हेतु सक्षम भी बनाया।

समन्वयक
शालिनी भट्ट
प्रवक्ता, शैक्षिक तकनीकी विभाग
डायट पौड़ी